

15.00 hrs.

Title: Need to check rise in the price of steel in the country.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, स्टील या इस्पात उद्योग को विलासिता की वस्तु के उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। दरअसल इस्पात तो देश के विकास की नींव है। उद्योग का विकास इस्पात की सुलभ और सस्ती उपलब्धि पर ही निर्भर है। जुलाई माह के प्रारम्भ में देश में इस्पात की कीमतें इस्पात उत्पादकों द्वारा 400 रुपए से 700 रुपए प्रति टन बढ़ा दी गईं। यह मूल्य वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण नहीं बल्कि इस्पात की अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में मांग बढ़ जाने के हालात को देख कर की गई है। इस मूल्य वृद्धि के मामले में सरकारी क्षेत्र की स्ताल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी अहम भूमिका है। मुझे लगता है कि देश के इस्पात उत्पादकों के साथ सरकारी संस्थान भी अपने दायित्व को भूल गया है और सरकार भी खुले बाजार के सिद्धान्त को ध्यान में रखर अपने मूल कर्तव्य से विमुख हो गई है। अतः मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि अपने मूल कर्तव्य को ध्यान में रखकर सरकार अविलम्ब हस्तक्षेप कर स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया को निर्देश दे ताकि देश के इस्पात उद्योग में इस अनावश्यक मूल्य वृद्धि की तेजी पर अंकुश लगाया जा सके।